

प्रेषक,  
सी०एस० नपलच्चाल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तराखण्ड।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमौर, उत्तराखण्ड।
- 4- पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 10 मार्च, 201

**बिषय-** राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के क्रय के संबंध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 65/IX-1/2013/215 /2011 दिनांक 17 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-152/IX-1/215(2011)/2016, दिनांक 29.02.2016 को अवक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु वाहनों के क्रय एवं रखरखाव से संबंधित व्यवस्था में एकलूपता बनाये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासकीय/सरकारी वाहनों के क्रय/अधिप्राप्ति के संबंध में निम्न नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(1) विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं अधिकारियों को शासकीय/सरकारी वाहनों की अनुमन्यता के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा समय समय पर आदेश निर्गत किये जाते हैं। अतः यह नीति उक्त आदेशों का अतिक्रमण नहीं करती है, और संबंधित विभागों की वाहनों के संबंध में अनुमन्यता की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभावी रहेंगी अर्थात् जिन अधिकारियों को दिनांक 17.01.2013 से पूर्व किन्हीं आदेशों के अन्तर्गत वाहन अनुमन्य है को अन्यवत् वाहन अनुमन्य होगा।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, एक अधिकारी को एक ही स्रोत से वाहन अनुमन्य होगा, भले ही अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग/पद का प्रभार हो।

(3) विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं महानुभावों को शासकीय/सरकारी वाहनों के मॉडल/मूल्य निम्न प्रकार अनुमन्य होंगे:-

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	अधिकतम वाहन क्रय मूल्य	रेय तीर
A	मा० कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, प्रिन्सिपल चीफ ऑफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, महानिदेशक पुलिस।	15 लाख	





४८

- ७८७८— आउटसोर्सिंग तथा रिफ्लॉर्समेन्ट प्रणाली के प्रचलित होने पर कुछ संख्या में वृक्ष शासकीय चालक वाहनहीन / redundant हो जायेगे। ऐसे वाहन चालकों के संबंध में निर्धारित की जायेगी।
- ९— विभागों में अधिकारियों की स्टॉफ कार से इतर वाहन यथा—भार वाहन, बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली मोटरसाईकिल आदि के संबंध में विभिन्न विभागों में वर्तमान में अपनायी जा रही व्यवस्था लागू होने और इस संबंध में निर्णय संबंधित विभाग के प्रशासकीय विभाग द्वारा लिया जाएगा।

मवदीय,

(सी०एस० नैपलच्चाल)  
सचिव।

संख्या— ←/IX-1/215/2011/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- १— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- २— प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
- ३— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- ४— रजिस्ट्रार मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- ५— परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
- ६— समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- ७— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ८— समस्त निजी सचिव, मा० मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
- ९— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- १०— सचिवालय के समस्त अनुमाग।
- ११— महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
- १२— निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- १३— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रमुख अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष

देहरादून

प्रकाश चन्द्र जोशी

उप सचिव।

अनुमति दिलाई हुई है।

१— समान भुक्त्य अभियन्ता लो०नी०वि० (क्षेत्रीय) उत्तराखण्ड।

२— समान अधीक्षक अभियन्ता लो०नी०वि० उत्तराखण्ड

३— समान अधिकारी अभियन्ता लो०नी०वि० उत्तराखण्ड

प्रमुख अधिकारी  
दार्ज प्रशासनिक अधिकारी

गालव प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष